प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 07 /स0क0/नजारत/स्टेशनरी/2015–16,

लखनऊ : दिनांक : 13–अप्रैल, 2015

महोदय,

उक्त विषयक संलग्नक निविदा सूचना प्रकाशन हेतु (सी0डी0 सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि कृपया संलग्न विज्ञापन को किसी तीन प्रतिष्ठित दैनिक प्रकाशित समाचार पत्रों में शासकीय नियमों के आधीन प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुरेन्द्र विक्रम)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री विजय गुप्ता, प्रभारी कम्प्यूटर को इस निर्देश के साथ कि विभाग की वेबसाइट पर नियम एवं शर्ते टेण्डर दताओं की सुविधा के लिए अपलोड करें।
2. नाजिर, निदेशालय, समाज कल्याण, को इस निर्देश के साथ कि नोटिस बोर्ड पर टेण्डर नोटिस एवं नियम तथा शर्ते चस्पा करें।

(सुरेन्द्र विक्रम)
निदेशक।
10/4/15

अल्प कालीन निविदा सूचना

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश 3 प्राग नारायन रोड, लखनऊ में वर्ष 2015–16 के लिए स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी अधिकतम अवधि एक वर्ष की होगी। इस कार्य हेतु निविदा फार्म प्रपत्र रू0 200/– (दो सौ) मात्र जमा कर के कार्यालय से दिनांक–25-5-15 अपरान्ह 2.00 बजे सील बन्द लिफाफे में प्राप्त की जायेगी (एक लिफाफा नमूना तथा दूसरा लिफाफा न्यूनतम दर होगा)। आपूर्तिकर्ता फर्म को रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) अर्नेस्टमनी की धनराशि को एफ0डी0आर0 निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के पक्ष में निविदा के साथ संलग्न करना होगा। इस कार्य हेतु नगद धनराशि जमा नहीं की जायेगी। नियम एवं शर्ते विभाग की वेब साइट **www.dir samajkalyan.in** से डाउनलोड की जा सकती हैं।

आपूर्तिकर्ता फर्म की अपनी दुकान/प्रतिष्ठान लखनऊ में होना आवश्यक हैं फर्म को अपने पैड पर यू0पी0 वैट नम्बर तथा आयकर पैन नम्बर तथा निम्नांकित प्रमाण–पत्र/प्रपत्र देना अनिवार्य होगा:–

1– कम से कम 15 लाख तक की सन्तोष जनक आपूर्ति सरकारी विभाग में प्रमाण प्राप्त।

2– 25 लाख तक की बैंक गारन्टी।

3– निविदा स्वीकृति होने की स्थिति 1 लाख तक की जमानात राशि विभाग के पक्ष में। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बतायें एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(सुरेन्द्र विक्रम)
निदेशक।

निविदा शर्तें

01– निविदायें मोहर बन्द लिफाफें में दो प्रतियों में निविदा दाता द्वारा हस्ताक्षर सहित दी जायेगी जो निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 को सम्बोधित होगी।

02– स्थानीय अधिकृत उत्पादक की इकाई अथवा होलसेल वितरक/ एजेण्ट द्वारा दी गई निविदा को वरीयता दी जायेगी।

03– निविदा दाता को उत्पादक एग्रीमेन्ट रू0 100.00 के जनरल स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

04– निविदा निर्धारित तिथि–24-4-15 को अपरान्हन 2.00 बजे तक निदेशालय समाज कल्याण, 3 प्राग नाराणन रोड, लखनऊ के कमेटी हाल में रखें टेण्डर वाक्स में डाली जायेगी तथा इस हेतु गठित समिति के द्वारा अपरान्हन 3.00 बजे फर्म के प्रतिनिधियों के सामने खोली जायेगी।

05– निविदायें पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहियें तथा निविदा दाता की मोहर एवं हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर होनी चाहिए।

06– स्वीकृत निविदा कारक को सामग्री की आपूर्ति आदेश प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर समाज कल्याण निदेशालय (कल्याण भवन) में अपने व्यय कर करनी होगी।

07– निविदा दाता को निर्धारित अरनेस्ट मनी की धनराशि रू0 32 हजार निदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ के नाम बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ जमा कराना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

08– निविदा फार्म के साथ संलग्न सामग्री की सूची में प्रत्येक आइटम की दरें उसी सूची में बिना कटिंग/ओवरराइटिंग के अंकित होनी चाहिए तथा प्रत्येक आइटम का नमूना निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

09– स्वीकृत निविदा की दरें दिनांक 31–03–2016 या अग्रिम निविदा स्वीकृ होने तक मान्य होगी।

10– सम्बन्धित फर्म द्वारा जमा की गयी अरनेस्ट मनी की धनराशि रू0 10,000/– सिक्योरिटी मनी के साथ–साथ रखी जायेगी, जो निविदा की अवधि पूर्ण होने के द्वारा वापस की जायेगी तथा अस्वीकृत फर्मो के बैंक ड्राफ्ट मूलरूप में कार्यालय द्वारा वापस कर दियें जायेगें। न्यूनतम दर वाले निविदा दाता द्वारा जमानत धनराशि जमा न करने व अनुबन्ध न करने पर अरनेस्ट मनी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

11– निविदा दाता को बिक्री कर तथा आयकर का अन्तिम प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

12– डी फार्म के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमन्य बिकी कर स्वीकृत दरों पर अनुमन्य होगी, साथ ही शासन द्वारा निर्धारित जोड़कर दर प्रस्तुत की जायेगी।

13– यदि आपूर्ति की गयी सामग्री अधोमानक /निम्न स्तर की होगी तो निविदा दाता को सामग्री अपने खर्च पर वापस लेना होगा तथा उसे बदलकर मानक स्तर की सामग्री की क्षतिपूर्ति करनी होगी। आपूर्ति न करने पर सिक्योरिटी मनी रू0 1.50 लाख की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14– निदेशक, समाज कल्याण को निविदा तथा निविदा के किसी आईटम को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा और विवाद स्थिति में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

15– निविदा स्वीकार किये जाने के उपरान्त निविदा दाता को अनुबन्ध पत्र 7 दिन के अन्दर पूर्ण कर देना होगा, जो रू0 60.00 के स्टाम्प पेपर पर होगी।

16– सन्तोषजनक आपूर्ति न होने की दशा में सफल निविदा दाता की सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी एवं निविदा क्रम में अनुसार उनसे अधिक दरों (द्वितीय न्यूनतम) वाले निविदा दाता को दे दिया जायेगा।

17– अपूर्ण तथा अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

18– विल तीन प्रतियों में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेगें सामग्री क्रय करने के लिए कोई अग्रिम धनराशि नहीं दी जायेगी।

19– विल का भुगतान बजट की उपलब्धता के अनुसार यथशीघ्र किया जायेगा।

20– सफल निविदा दाता 31–03–2016 तक आपूर्ति करने को बाध्य होगा।

21– निविदा फार्म की फीस रू0 200/– विभाग द्वारा वापस नहीं की जायेगी।

22– निविदा के साथ आपूर्ति किये जाने वाले लेखन सामग्री के नमूने भी प्रस्तुत किये जायेगें। नमून न प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में निविदा पर विचार कर पाना सम्भव नहीं होगा।

23– सफल निविदा दाता को अनुमनित आपूर्ति 15.00 लाख का 10 प्रतिशत धनराशि टेण्डर स्वीकृति के बाद अनुबन्ध पत्र भरने के समय निदेशक के नाम फिक्स डिपोजिट के रूप में जमा करना होगा, जो आपूर्ति अवधि समाप्ति पर लौटाया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी (नजारत)
कृते निदेशक।